उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी– 26 /तक0प्र0/डेय0उद्य0वि0यो0/18–19 दिनॉक 13/06/2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

''अति आवश्यक''

विषय– डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)–वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजना जारी रखने के सम्बन्ध में।

नाबार्ड के परिपत्र संदर्भ सं0 राबै/उ0प्र0क्षेकालख/डार–एलटी/डीईडीएस–01/18–19 दि0 11.6.18 का सन्दर्भ ग्रहण करें। नाबार्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रसंस्करण की सुविधाओ का निर्माण, क्लस्टर में उत्पादित दूध में मूल्य वर्धन और उसके विपणन सहित डेयरी किसानो/स्वय् सहायता समूहो में महिलाओ/सहकारी संस्थाओ और उत्पादक कम्पनियो को शामिल करते हुए क्लस्टर, आधार पर कार्यान्वित किये जाने वाली परियोजनाओ को प्राथमिकता दी जाये।साथ ही अनुसूचित जनजाति छोटे सीमान्त और गरीबी रेखा से नीचे के किसानो और देश के सूखा और बाढ प्रभावित क्षेत्रो के किसानो को प्राथमिकता दी जाय वित्त पोषक संस्था द्वारा प्रस्ताव के मंजूरी के बाद डीईडीएस एन्श्योर पोर्टल में निर्धारित टम्पलेट के अनुसार वह मंजूरी के 30 दिनो के भीतर विवरण अपलोड करेगे और सब्सिडी के पात्र राशि को ब्लॉक करेगे तथा सफलता पूर्वक और प्रमाणीकरण के बाद बैंक के पहली बार अपलोड करने के 30 दिन के भीतर पहली किश्त जारी करेगा और उसके विवरणो को अद्यतन करेगा यदि पहली किश्त के विवरणो को 30 दिन के भीतर अद्यतन नही किया जाता तो चूँकि बजट को अनिश्चित समय के लिए अलग नही रखा जा सकता इसलिए सिस्टम अद्यतन को अपने आप डिलीट करेगा बैंक/नियंत्रक कार्यालय या सुनिश्चित करे कि सब्सिडी के दावे निर्धारित समय अवधि में अपलोड किये जाये तथा नाबार्ड के संलग्न परिपत्र संख्या–28/डी0ओ0आर0–44/ 2018 दिनांक 06.06.18 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों व अन्य पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त योजनान्तर्गत निम्न घटकों में अनुदान का लाभ दिया जा रहा है :–

क0सं0	घटक योजना का नाम	इकाई लागत (प्रति इकाई)	सहायता का पैटर्न
1-	शंकर गाय/देशी नस्ल दुधारू गाय जैसे साहिवाल, रेड सिधी गौर, राठी इत्यादि/ग्रेडेड भैंस के साथ 10 पशु तक लघु डेयरी इकाईयो की स्थापना (एसएचजी,सहकारी समितियॉ, उत्पादन कंपनियो के लिए ईकाई का आकार प्रति सदस्य 2–10 पशु ईकाई)	10 पशु इकाई के लिए 7.00 लाख रू0 निम्नतम ईकाई आकार 2 पशु और अधिकतक इकाई आकार 10 पशु	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33%) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के किसानो के लिए)।प्रति पशु 17,500 रू0 की अधिकतम सीमा पर अधिकतम 10 पशुओ के यथानुपात आधार पर सब्सिडी प्रतिबन्धित रहेगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 23,300 रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो। लाभार्थी उच्च लागत वाले पशुओ का क्रय कर सकते है। यद्यपि सब्सिडी उपर्युक्त सीमा प्रतिबन्धित रहेगी
2-	हीफर बछडो का पालन शंकर नस्ल, दुधारू नस्ल, देशी गोपशु और ग्रेडेड भैसे –20 बछडो तक	20 बछडा इकाई के लिए 9.70 लाख रूपये–20 बछड़ों की उच्चतम सीमा सहित	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के किसानो के लिए)। अधिकतम 20 पशुओं के लिए सब्सिडी की उच्चतम

			सीमा 12,100.00 रूपये यथानुपात आधार पर प्रति बछड़ा प्रतिबन्धित होगी। (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए 16,200.00 रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
3-	दुधारू पशु इकाई के साथ वर्मी कम्पोस्ट (दुधारू पशुओं/लघु डेयरी फार्म के साथ विचार योग्य अलग अलग नहीं)	25,200.00 रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 6300.00 रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 8400 रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
4-	दुग्ध निकालने की मशीनें/दुग्ध परीक्षक/वृहत दूध शीतलन इकाइयॉ (5000 लीटर की क्षमता तक)	20 लाख रूप ये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 5.0 लाख रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 6.67 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
5-	देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों का क्रय	13.20 लाख रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 3.30 लाख रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 4.40 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
6-	डेयरी उत्पाद ढुलाई व्यवस्था और शीतलन श्रृंखला की स्थापना	26.50 लाख रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 6.625 लाख रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 8.830 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
7-	दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था	33 लाख रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 8.25 लाख रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 11.0 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
8-	निजी पशु चिकित्सा क्लीनिकों की स्थापना	सचल क्लीनिक के लिए 2.60 लाख रूपये और स्थायी क्लीनिक के लिए 2.0 लाख रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 65,000 और 50,000 रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए 86,600/– और 66,600/– रू0) क्रमशः चालित और

			स्थाई क्लीनिकों अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
9-	डेयरी विपणन केन्द्र/डेयरी पार्लर	3.00 लाख रूपये	बैंक एण्डेड पूॅजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए)। उच्चतम सीमा 75,000 रूपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 1.00 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।

उपरोक्त के क्रम में समस्त शाखाओ को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. संदर्भित योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ईकाई लागत व अनुदान की धनराशि में संशोधन किया गया है। जिसका ध्यान रखा जाये।
2. इन्श्योर पोर्टल में प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार मंजूरी के 30 दिनो के भीतर लाभार्थियो का विवरण अपलोड किया जायेगा और अनुदान हेतु पात्र राशि को ब्लाक किया जायेगां। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड द्वारा वांछित समय सीमा के भीतर विवरण प्रेषित करने हेतु अधिक से अधिक मंजूरी के 10 दिनो के भीतर सम्पूर्ण विवरण बैंक द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करेगे तथा ऋण वितरण की प्रथम किस्त अवमुक्त करने के 10 दिनों के भीतर पुनः उसे अपलोड करते हुए इसकी एक हार्ड कापी भी तकनीकी अनुभाग को उपलब्ध करायेगे। यदि शाखाओ द्वारा इसमे बिलम्ब किया जाता है और लाभार्थी को अनुदान का लाभ नही मिल पाता है तो उपरोक्त के लिए शाखा प्रबन्धक स्वय् उत्तरदायी होगे।
3. इस योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान बैक इण्डेड सब्सिडी रूप में प्राप्त होगा जिसका लॉक–इन पीरियड 3 वर्ष होगा यदि आवंटित ऋण एनपीए की श्रेणी में आ जाता है तो नाबार्ड को सब्सिडी वापस की जायेगी ऐसी दशा में निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियो का चयन व ऋण का सत्यापन सावधानी पूर्वक किया जाये यदि इसमे कोई शिथिलता बरती जाती है तो ऋण को एनपीए होने की स्थिति में शाखा प्रबन्धक व पत्रावली तैयारकर्ता को उत्तरदायी माना जायेगा।

संलग्नक :– यथोपरि।

ह0/–
(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

(1) समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2) उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

ह0/–

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)